(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3384–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–07–2012 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 16/2011–12 निगरानी

1– श्रीमती स्वतंत्र सहगल पत्नि अश्विनी कुमार
2– संजय सेठ पुत्र डॉ0 देशराज सेठ
निवासी कस्वा बानमोर जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन ---मूल अनावेदक
2– जगदीश सेठ पुत्र डॉ0देशराज सेठ
निवासी जेल रोड मुरैना
3– डॉ0योगराज कपूर पुत्र कर्मनारायण
निवासी कस्वा बामौर जिला मुरैना ---तरतीवीं अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदक–1 के पैनल लायर)
(अनावेदक–2 के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव)
(अनावेदक–3 तरतीवीं पक्षकार)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–7–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 2 व 3 ने नायव तहसीलदार बामौर को आवेदन देकर बताया कि ग्राम बामौर स्थित भूमि कुल किता 36 कुल रकबा 56 वीघा 8 विसवा के भूमिस्वामी हरजीत, रूद्रपाल, महिला सरजीत कौर, बलवीरसिंह, प्रताप सिंह, महिला जसवीर कौर वगैरह जाति पंजाबी निवासी दाल वाजार लश्कर ग्वालियर ने आवेदकगण को लगान लेकर जुताई थी तभी से वह खेती करते आ रहे हैं । अतः उन्हें अधिपति कृषक बनाया जाकर भूमि उनके नाम की जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 16,17,18/अ-6-अ/91-92 (तीन प्रकरण) दर्ज किये तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 30-6-92 पारित किया तथा आवेदकगण को आवेदित भूमि पर अधिपति कृषक दर्ज करने के आदेश दिये।

उक्त के उपरांत आवेदक क-1 एंव अनावेदक कमांक 2 व 3 ने नायव तहसीलदार टप्पा बामनौरके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बामौर स्थित भूमि कुल किता 36 कुल रकबा 56 वीघा 8 विसवा में वह निम्नानुसार अधिपति कृषक हैं :-

1-जगदीश व संजय सेठ कुल किता 13 रकबा 14 वीघा 16 विसवा
2-श्रीमती स्वतंत्र सहगल कुल किता 15 रकबा 29 वीघा 1 विसवा
3-डा.योगराज कपूर कुल किता 6 रकबा 12 वीघा 12 विसवा

नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 25/92-93 अ-6 दर्ज कर सुनवाई कर आदेश दिनांक 2-9-93 पारित किया तथा उपरोक्त वर्णित रकबे पर आवेदक क-1 एंव अनावेदक कमांक 2 व 3 का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करना स्वीकार किया।

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक 15/08-09 निगरानी / 694 दिनांक 30.7.09 कलेक्टर मुरैना को प्रेषित कर नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 16,17,18 / अ-6-अ/91-92 के परीक्षण के निर्देश दिये गये , जिस पर से कलेक्टर मुरैना ने पक्षकारों के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 01/10-11 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20.12.11 पारित किया तथा नायव तहसीलदार

के प्रकरण क्रमांक 16, 17, 18/अ-6अ/91-92 में पारित आदेश दिनांक 30.6.92 एवं प्र0क्र0 25/अ-6/92-93 में पारित आदेश दिनांक 2.9.93 निरस्त कर दिये तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि भूमिस्वामी हरजीत सिंह आदि द्वारा आवेदकगण के हित में किये गये विक्रय अनुबंध के क्रम के प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्रय पत्र संपादित कराया जाय। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 16/निगरानी/11-12 में पारित आदेश दिनांक 26.7.12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर एवं अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार बामौर द्वारा तीन प्रकरण क्रमांक 16, 17, एवं 18/अ-6अ/91-92 में पारित आदेश दिनांक 30.6.92 तथा प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/92-93 में पारित आदेश दिनांक 2.9.93 को दिनांक 1.10.10 लगभग 18 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया है। इस संबंध में 2010 आर0एन0 409 रणवीर सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही के लिये 180 दिवस की परिसीमा को ऊपरी सीमा माना है। 2012 आर0एन0 362 शारदा

बिहार विकास समिति विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

" धारा 50-स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण- के लिये परिसीमा-जानकारी के दिनांक से 180 दिवस है -जानकारी के दिनांक से 19 वर्ष पश्चात् ऐसी शक्ति का प्रयोग- प्राधिकारी को मामला स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने की शक्ति नहीं है- कार्यवाही अकृत एवं शून्य है।,,

इसी प्रकार 2013 आर0एन0 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है:-

" धारा 50-स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग-पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया-180 दिवस से बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।,,

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही एवं पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अभिलिखित भूमिस्वामी हरजीत, रूदपाल, महिला

सरजीत कौर, वलवीर सिंह, प्रतापसिंह, महिला जसवीर कौर 25 वर्ष पूर्व प्रीमियम लेकर लगान देने की शर्त पर कृषि कार्य हेतु दिये जाने एवं तब से लगातार उनका आधिपत्य होकर कृषि कार्य करने के आधार पर कब्जा लिखे जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन कराया गया है, और अभिलिखित भूमिस्वामियों को व्यक्तिशः सूचना दी गई है, परंतु सूचना उपरांत भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि उनका दायित्व था कि वे उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक-2 एवं 3 के कब्जे के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते, परंतु उनके द्वारा पक्ष समर्थन नहीं करने से इस तथ्य को बल मिलता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण सहित अनावेदक 2 व 3 का कब्जा अनेक वर्षो से होने का तथ्य उनकी जानकारी में था। नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से विधिवत् जांच कराई गई है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक 2 व 3 का 25 वर्षो से प्रीमियम देकर पट्टे पर जुताने की शर्त पर कब्जा होना पाया गया है। अभिलिखित भूमिस्वामी हरजीत सिंह, सतपाल सिंह, सरजीत कौर, बलवीर सिंह, प्रताप सिंह, श्रीमती जसवीर कौर एवं आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक 2 के मध्य एक अनुबंध पत्र दिनांक 28.6.91 को निष्पादित हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 के पूर्व अनेक क्रेताओं के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय का प्रस्ताव रखा, परंतु किसी ने भी उक्त

भूमियों का विक्रय मूल्य बाजारू कीमत से नहीं लगाया, इससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का अनेक वर्षो से कब्जा था, इसीलिये कोई भी केता उक्त भूमि को क्रय नहीं करना चाहता था। अतः नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.6.92 को आदेश पारित कर आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का प्रश्नधीन भूमियों पर अधिपति कृषक की हैसियत से कब्जा दर्ज करने का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही गई है। यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के आवेदन पत्र पर प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/1992-93 दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 2.9. 1993 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, और उक्त कार्यवाही में भी विक्रेतागण उपस्थित नहीं हुये हैं, और उनके द्वारा उक्त आदेशें के विरूद्ध कभी कोई अपील नहीं की गई है, इसका सीधा मतलब है कि विक्रेतागण उक्त आदेशें से संतुष्ट थे, और बाद में दोषी मंश से शिकायत कराई गई है, जिसके आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में कलेक्टर द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा केवल इस आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि भूमि स्वामी हरजीत सिंह आदि द्वारा आवेदकगण सहित अनावेदक सहित अनावेदक क्रमांक 2 के पक्ष

में निष्पादित विक्रय अनुबंध पत्र एवं मुख्त्यारनामा के आधार पर वर्तमान गाईड लाइन अनुसार विक्रय पत्र का सम्पादन कराया जावे एवं आदेश की प्रति जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक को भेजी गई है, कि आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा स्टाम्प इ्यूटी बचाने के लिये षणयंत्र पूर्वक नायब तहसीलदार से आदेश पारित करा लिये गये हैं, जिससे शासन को स्टाम्प इ्यूटी की हानि हुई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि कलेक्टर के आदेश के पालन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी-103/2014-15/31,33 दर्ज कर दिनांक 3.12.14 को आदेश पारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,40,718/- एवं तीन गुना शास्ति रूपये 7,22,154/- जमा कराने के आदेश दिये गये हैं, जिसे आवेदकगण सहित्र अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा जमा करा दिया गया है। प्रमाण स्वरूप कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की प्रति एवं चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। चूंकि आवेदकगण द्वारा शासन को हुई स्टाम्प इ्यूटी की हानि की पूर्ति कर दी गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा जिस कारण से नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये हैं, वह आधारहीन हो जाने से कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, और चूंकि अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.7.12 एवं कलेक्टर मुरैना द्वारा

पारित आदेश दिनांक 20.12.2011 निरस्त किये जाते हैं। नायब तहसीलदार बामौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.92 एवं 2.9.93 स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर